Australian Government

रक्षा बंधन (राखी)
जैव-सुरक्षा (बायोसिक्योरिटी)

मई 2024

जैव-सुरक्षा (बायोसिक्योरिटी) से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना

विदेशों से लाए जाने वाले खाद्य-पदार्थ, वानस्पतिक सामग्रियाँ (प्लांट मैटिरियल) तथा पशु उत्पाद (एनिमल प्रॉडक्ट्स), विश्व के सर्वाधिक घातक हानिकारक कीट तथा रोग ऑस्ट्रेलिया में ला सकते हैं। इससे हमारे अनोखे वातावरण तथा मूल्यवान कृषि और पर्यटन उद्योगों का विनाश हो सकता है।

अगर आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं या आपके यहाँ विदेश से अतिथि आने वाले हैं, तो यह महत्वपूर्ण है कि आपको, आपके परिवार को और आपके यहाँ आने वाले मेहमानों को ऑस्ट्रेलिया के कठोर जैव-सुरक्षा (बायोसिक्योरिटी) क़ानूनों के बारे में मालूम हो।

अगर आपके लिए रक्षा बंधन के उपहार डाक से आने वाले हैं, तो विदेश में अपने परिवार और दोस्तों से कहें कि सामान पोस्ट करने से पहले वे यह पता कर लें कि उन चीज़ों की ऑस्ट्रेलिया में अनुमति है। डाक से भेजी जाने वाली वस्तुओं पर लगने वाले घोषणा लेबल में सभी सामग्रियों का सटीक उल्लेख करना आवश्यक है, ताकि सीमा (बोर्डर) पर उनका मूल्यांकन किया जा सके।

जो चीज़ें जैव-सुरक्षा (बायोसिक्योरिटी) के लिए ख़तरा होती हैं उन्हें ऑस्ट्रेलिया में आने से हम कैसे रोकते हैं

जिन चीज़ों से विनाशकारी कीटों तथा रोगों के ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश की संभावना होती है उनका पता लगाने के लिए आने वाले यात्रियों के सामानों और अंतर्राष्ट्रीय डाक से आने वाली चीज़ों को आंका (मूल्यांकन किया) जाता है। जिसमें जैव-सुरक्षा (बायोसिक्योरिटी) अधिकारियों द्वारा यात्रियों से पूछताछ, या एक्सरे मशीनों, सूँघकर पता लगा लेने वाले कुत्तों का उपयोग और/या हाथों से निरीक्षण शामिल हो सकता है।

जिन चीज़ों से जैव-सुरक्षा (बायोसिक्योरिटी) को ख़तरा होता है

रक्षा बंधन के जिन उपहारों से जैव-सुरक्षा (बायोसिक्योरिटी) को ख़तरा उत्पन्न हो सकता है, उनमें शामिल है:

- बीज या फूलों से बने राखी के धागे
- पारंपरिक भारतीय मिठाइयाँ (मिठाई) जिनमें दूध होता है, जैसे बर्फी, मैसूर पाक, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, पेड़े या सोन-पापड़ी
- रेफ्रिजरेशन की आवश्यकता वाले बिस्कुट, केक और ब्रेड
- सूखे मेवे (नट्स)
- चाय और जड़ी बूटियाँ (हर्ब्स)
- चावल, गेहूं, दालें, छोला/चना और बीन्स सहित अनाज और दालें।

ऑस्ट्रेलिया को विनाशकारी कीटों तथा रोगों से बचाने में सहायता करें

- अपने रक्षाबंधन के उपहार ऑस्ट्रेलिया में ही खरीदें।
- चीज़ों को ऑस्ट्रेलिया में लाने या यहाँ भेजने के लिए पोस्ट करने से पहले, agriculture.gov.au/mailing-bringing-goods पर जाकर यह पता कर लें कि ऑस्ट्रेलिया में उन चीज़ों की अनुमति है।
- विदेश में अपने परिवार और दोस्तों से कहें कि वे यह मालूम कर लें कि वे जो उपहार लाना या पोस्ट करना चाहते हैं, उनको ऑस्ट्रेलिया में लाने या भेजने अनुमति है।

ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर आना

ऑस्ट्रेलिया आते समय आपको निम्नलिखित कार्य अवश्य करने चाहिए:

- यदि आप अपने साथ खाद्य-पदार्थ, वानस्पतिक (प्लांट) सामग्रियाँ या पशु उत्पाद ला रहे हैं तो अपने इनकमिंग पेसेंजर (आने वाले यात्री) कार्ड पर पूरी ईमानदारी के साथ सच्चाई से घोषणा करें। झूठी या भ्रमित करने वाली जानकारी देना एक गंभीर अपराध है। वस्तुओं की घोषणा न करने के कारण गंभीर जुर्माना/दंड मिल सकता है।
- अगर आप कोई भी खाद्य-पदार्थ, वानस्पतिक सामग्रियाँ (प्लांट मैटिरियल) तथा पशु उत्पाद (एनिमल प्रॉडक्ट्स) ला रहे हैं तो "हां (Yes)" पर निशान लगाएं।

अगर आपको कोई असमंजस है, तो जैव-सुरक्षा अधिकारी से बात करने के लिए अपने आने वाले यात्री कार्ड (इनकमिंग पैसेंजर कार्ड) पर "हां (Yes)" पर निशान लगाएं।

आपको उपहारों सहित उन सभी उत्पादों को अपने सूटकेस/बैग में सबसे ऊपर रखना चाहिए जिनकी घोषणा करने की ज़रूरत है, ताकि जैव-सुरक्षा अधिकारी उनका निरीक्षण आसानी से कर सकें।

घोषित वस्तुओं को उपचारित (ट्रीट) करने या निर्यात करने (आपके खर्च पर) या नष्ट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। जो वस्तुएँ जैव-सुरक्षा के लिए खतरा पैदा नहीं करतीं, वे आपको लौटा दी जाएँगी।

अगर आप किसी जैव-सुरक्षा (बायोसिक्योरिटी) अधिकारी को या अपने आने वाले यात्री कार्ड (इनकमिंग पैसेंजर कार्ड) में झूठी या भ्रमित करने वाली जानकारी देते हैं, या आप सामानों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर नहीं देते हैं या जैव-सुरक्षा (बायोसिक्योरिटी) अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करते हैं, तो आपको:

- एक उल्लंघन नोटिस दिया जा सकता है
- न्यायालय में दीवानी (सिविल) दंड मुक़दमा (civil penalty proceedings) चलाया जा सकता है, और/या
- एक दंडात्मक अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है।

आपका वीज़ा भी रद्द किया जा सकता है, और यदि ऐसा हुआ, तो आपको ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश की अनुमति देने से मना कर दिया जाएगा और हो सकता है कि आप अधिकतम तीन साल तक वापस ऑस्ट्रेलिया नहीं आ पाएँ। अगर आप सभी सामानों को घोषित करते हैं और दिखा देते हैं, तो अगर उनको ऑस्ट्रेलिया में लाने की अनुमति नहीं भी है तो भी, आपको *जैव-सुरक्षा (बायोसिक्योरिटी) अधिनियम 2015 (Biosecurity Act 2015)* के तहत दंडित नहीं किया जाएगा।

फ़ोन 1800 900 090 अथवा
+61 3 8318 6700 (ऑस्ट्रेलिया के बाहर से)

अधिक जानकारी के लिए
agriculture.gov.au/travelling-mailing

फेसबुक (Facebook): Australian Biosecurity
इंस्टाग्राम (Instagram): @australianbiosecurity

BIO078.0524